दांडिक प्रकरण क. 18863/2022
राज्य विरूद्ध अश्वनी चक्रधारी वगै.

Witness no.....2.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken the.04.07.2026.....day of. शनिवार..... Witness's apparent age.....77 वर्ष.....
States on affirmation...शपथ पूर्वक.....My name is...सुखराम यादव
S/o..... स्व. श्री भगोली राम यादव .....occupation.....मजदूरी .....
address.... नवागांव, जिला–रायपुर छ0ग0

समय– 03.00 बजे प्रारंभ।

अभियोजन अधिकारी श्री शिवांशु बैस द्वारा मुख्य परीक्षण।

01– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी गोपाल चक्रधारी को जानता हूं क्योंकि वह मेरे गांव का रहने वाला है। प्रार्थी गजाधर पटेल भी मेरे गांव का रहने वाला है। आज मुझे घटना दिनांक याद नहीं है। परंतु घटना वर्ष 2022 की है। घटना दिनांक को शाम लगभग 05.00 बजे रामायण कुटी में अश्वनी चक्रधारी के जमीन के संबंध में कृष्ण कुमार के साथ मिलकर मिंटिग कराया गया था। मैं मिटिंग में उपस्थित हुआ था।

02– नवागांव में अश्वनी चक्रधारी एवं गजाधर पटेल द्वारा एक ही स्थान घुरवा में मुर्ति बनाने का कार्य करने के संबंध में मिटिंग में वाद–विवाद हुआ था। गजाधर पटेल ने अश्वनी चक्रधारी को कहा था कि अपने रिश्तेदारों के बातों को मिटिंग में मत लाया करो। तब अश्वनी चक्रधारी और गोपाल चक्रधारी ने गजाधर पटेल को पकड़ कर मारपीट किया एवं गाली–गलौज मादरचोद भी दिया था। गाली–गलौज सुनकर मुझे गंदा लगा था। मारपीट के बाद मैं अपने घर चले गया था। पुलिस वालों ने मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ किये थे।

टीप :– इसी स्तर पर ए0डी0पीओ0 श्री शिवांशु बैस द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत् साक्षी से सत्य बात जानने के लिए प्रतिपरीक्षण के समान सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही। प्रकरण के अवलोकन के पश्चात् न्यायहित में अनुमति प्रदान की गई।

03– यह कहना सही है कि गजाधर पटेल ने मिटिंग मे बोला था कि तुम चक्रधारी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। यह कहना सही है कि इसी बात को लेकर गुस्से एवं आवेश में आकर अश्वनी चक्रधारी एवं गोपाल चक्रधारी गजाधर पटेल को गाली–गलौज और मारपीट किये थे।

04– यह कहना सही है कि गजाधर पटेल को मारपीट की वजह से गले में चोट आया था। स्वतः कहा कि गाल एवं गले में भी चोंट आया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री योगेश साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त :–</u>

05– यह कहना गलत है कि गांव के सरपंच के द्वारा हम लोग को जमीन आंबटन किया गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गांव में जमीन आबंटन के संबंध में वाद–विवाद हुआ था। यह कहना सही है कि जमीन आबंटन के संबंध में गांव में मिटिंग बुलाई गयी थी जिसमें एसडीएम, तहसीलदार व पुलिस वालें आये थे। यह कहना गलत है कि उक्त मिटिंग में मैं शामिल होने गया था। यह कहना गलत है कि उसी समय उक्त घटना हुयी थी।

06– यह कहना सही है कि अश्वनी चक्रधारी एवं गजाधर के द्वारा शासकीय जमीन घुरवा को कब्जा किया गया है जिसके संबंध में मिटिंग हुयी थी जिसमें 100–200 लोग उपस्थित थे। मिटिंग में हम लोग 30 से 40 लोगों के अंतराल में बैठे थे। यह कहना सही है कि उक्त मिटिंग में बहुत ज्यादा हो–हल्ला एवं शोरगुल हो रहा था। यह कहना सही है कि मिटिंग के दौरान हो–हल्ला होने से कौन क्या बोल रहा था सुनायी नही दे रहा था।

07— यह कहना सही है कि आरोपी गोपाल चक्रधारी ने घटना के समय क्या बोला वह सुनायी नहीं दे रहा था। यह कहना सही है कि मैं थाने नहीं गया था। यह कहना सही है कि पुलिस वालें मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

समय— 03.15 बजे।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।

सही होना स्वीकार किया ।

सही/—
(आयुष ताम्रकार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/—
(आयुष ताम्रकार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....